भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 2342

सोमवार, 04 अगस्त, 2025/13 श्रावण, 1947 (शक)

पश्चिम बंगाल में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए निधि जारी करना

2342. श्रीमती रचना बनर्जी:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल में केंद्र प्रायोजित योजनाओं, जैसे मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि के लिए समय पर निधि जारी करने संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूक है;

(ख) उक्त निधि का पारदर्शी, समय पर और निर्बाध वितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं;

(ग) सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए लक्षित वित्तीय प्रोत्साहन, कर लाभ या विशेष पैकेज का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त निवेश राज्य में अधिक अनुकूल व्यावसायिक वातावरण को किस प्रकार सुगम बनाएगा?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक, पश्चिम बंगाल को केंद्र प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) के केंद्रीय हिस्से के रूप में 33,543 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। किसी राज्य को सीएसएस का केंद्रीय हिस्सा जारी करना मौजूदा स्कीम के दिशानिर्देशों में निर्धारित शर्तों के अनुपालन और पहले जारी की गई धनराशि के उपयोग पर निर्भर करता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी एनआरईजीएस) एक मांग-आधारित वैतनिक रोजगार स्कीम है। महात्मा गांधी एनआरईजी अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार, स्कीम के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में, केंद्रीय टीमों की निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर, जिनमें वित्तीय हेराफेरी, गैर-अनुमेय गतिविधियों का क्रियान्वयन, कार्यों का विभाजन, पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी जैसे कार्यान्वयन संबंधी मामले उजागर हुए थे, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इनमें सुधार के लिए राज्य को कई पत्र भेजे थे। हालाँकि, कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं देखा गया। इसके परिणामस्वरूप, केंद्र

सरकार के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के कारण अधिनियम की धारा 27 के तहत, 9 मार्च, 2022 से पश्चिम बंगाल राज्य को धनराशि जारी करने पर रोक लगा दी गयी है।

इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्के मकानों के निर्माण हेतु पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) लागू की गई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य को कुल 45,69,423 का लक्ष्य आवंटित किया है और राज्य ने 45,69,032 आवासों को मंजूरी दी है और आज की तारीख तक 34,19,432 आवासों का लक्ष्य पूरा हो चुका है। ग्रामीण विकास मंत्रालय पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक पश्चिम बंगाल राज्य को केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹25,798 करोड़ पहले ही जारी कर दिया गया है। हालाँकि, नवंबर 2022 में अंतिम रूप दिये गए आवास प्लस 2018 सर्वेक्षण सूचियों से राज्य को लक्ष्य आवंटित किए जाने के बाद, पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन शिकायतों का सत्यापन राष्ट्रीय स्तर की निगरानी (एनएलएम) टीमों और वरिष्ठ अधिकारियों की टीमों के माध्यम से किया गया था।

एनएलएम टीमों और ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की टीमों की टिप्पणियों पर संतोषजनक की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2025-26 (अभी तक) के दौरान, अंतिम रूप दिए गए आवास प्लस 2018 सर्वेक्षण सूचियों से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लक्ष्यों के लिए पीएमएवाई-जी के तहत पश्चिम बंगाल राज्य को कोई केंद्रीय हिस्सा जारी नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) सीएसएस के तहत जारी की गई धनराशि के अलावा, केंद्र सरकार पूंजीगत व्यय/निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता स्कीम के तहत पश्चिम बंगाल सरकार सहित सभी राज्यों को अधिक अनुकूल व्यावसायिक वातावरण बनाने के लिए पूंजीगत व्यय/निवेश के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन भी प्रदान करती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस स्कीम की शुरुआत से वित्तीय वर्ष 2025-26 (28 जुलाई, 2025 तक) तक पश्चिम बंगाल को 23,073 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

*****